प्रेषक,

प्रफुल्ल कमल, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मा० महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियाँ)

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2022

विषय:— सुश्री ज्योति सिक्का, अपर महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ की आबद्धता समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में उ० प्र० राज्य की ओर से वादों की प्रभावी पैरवी करने हेतु शासनादेश संख्या—डी—938 / सात—न्याय—3—17—23जी / 2017, दिनांक—06.07.2017 द्वारा सुश्री ज्योति सिक्का (बार कौंसिल पंजीकरण संख्या—यू०पी० 2110 / 1992) की अपर महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के पद पर की गयी आबद्धता को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय.

/ (प्रफुल्ल कमल) विशेष सचिव

संख्या-डी-306(1) / सात-न्याय-3-22 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3-निबंधक, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।
- 4—मुख्य स्थायी अधिवक्ता / शासकीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / खण्डपीठ लखनऊ।
- 5—विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी उ०प्र० शासन, विधि कोष्ठक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 6-वाद अधीक्षक, मा० उच्च न्यायालय,खण्डपीठ लखनऊ।
- 7-संबंधित विधि अधिकारी / न्याय अनुभाग-5/6/8/9,
- 8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रफुल्ल कमल) विशेष सचिव प्रेषक.

प्रफुल्ल कमल, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

मा० महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियाँ)

लखनऊ : दिनांक / 2 अप्रैल, 2022

विषय:– श्री अमित शर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मां० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ की आबद्धता समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में उ० प्र० राज्य की ओर से वादों की प्रभावी पैरवी करने हेतु शासनादेश संख्या—डी—1532/सात—न्याय—3—17—19रिट/2017, दिनांक—23.10.2017 द्वारा श्री अमित शर्मा (बार कौंसिल पंजीकरण संख्या—1123/2002 तथा ए०ओ०आर० संख्या—बी/ए६६५) की स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के पद पर की गयी आबद्धता को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रफुल्ल कमल) विशेष सचिव

संख्या-डी-306(3) / सात-न्याय-3-22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3-निबंधक, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।
- 4—मुख्य स्थायी अधिवक्ता / शासकीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / खण्डपीठ लखनऊ।
- 5-विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी उ०प्र० शासन, विधि कोष्टक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 6—वाद अधीक्षक, मा० उच्च न्यायालय,खण्डपीठ लखनऊ।
- 7-संबंधित विधि अधिकारी / न्याय अनुभाग-5/6/8/9,
- 8-गार्ड फाइल।

्र आज्ञा से,

(प्रफुल्ल कमल) विशेष सचिव

Court No. - 17

Case :- WRIT - C No. - 6208 of 2021

Petitioner :- U.P. Forest Dept. Thru. Prabhagiya Van Adhikari Lko. And Anr.

Respondent :- Mrs. Harcharan Kaur Gill And Others

Counsel for Petitioner :- C.S.C.

Counsel for Respondent :- Jitendra Saksena, Agendra Sinha

Hon'ble Dinesh Kumar Singh, J.

- 1. Sri Amit Sharma, who is the Standing Counsel for the State, has put in appearance in this case on behalf of the petitioner-State. In the first session before lunch recess, he informed that Ms. Jyoti Sikka, learned Additional Advocate General would appear in this matter and the matter should be taken up in the revised call as she was busy in some other Court.
- 2. When this Court asked the learned Standing Counsel that where was Ms. Jyoti Sikka busy at that time, he said that she was busy in some other Court. The Court asked a specific question that in which Court was she arguing? Learned Standing Counsel did not have any answer. However, keeping in view the interest of the State inasmuch as huge chunk of forest land is involved in the present litigation, it was decided to take up the matter in the revised call. Mr. Amit Sharma has courage to tell complete lie in the Court.
- 3. When the case is taken up in the revised call, Ms. Jyoti Sikka is not present. This Court asks Sri Amit Sharma that where is she busy, he says that she has left the Court as she has some urgent work.
- 4. It is very painful to note that Ms. Jyoti Sikka has no courtesy to come and seek permission of the Court for leaving the Court premises despite having accepted the case and, the case was kept to be taken up in the revised call. This Court does not

approve the conduct of Mr. Amit Sharma, Standing Counsel and Ms. Jyoti Sikka, Additional Advocate General of the State.

5. List this petition on 5.3.2022 peremptorily.

6. Let a copy of this order be forwarded to the Principal Secretary (Law) and the Additional Chief Secretary, U.P. Forest Department for information and necessary action.

(Dinesh Kumar Singh, J.)

Order Date :- 2.3.2022

Rao/-

